चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1834

दिनांक :- 26.7.2023

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध बी0एड0 संस्थान/महाविद्यालय,
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः— निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठयक्रम (शिक्षण सत्र 2023—2024) के लिये पाठयक्रम शुल्क का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—07, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांकः 195/सत्तर—7—2023—बी0एड0(16)/2011, दिनांक 17 जुलाई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठयक्रम (शिक्षण सत्र 2023—2024) के लिये पाठयक्रम शुल्क का पुनर्निर्धारण किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा बी0एड0 पाठयक्रम हेतु निर्धारित शुल्क के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र की छायाप्रति इस आशय के साथ संलग्न की जा रही है कि पत्र में उल्लिखित दिशा निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)

CV
G3720
18/7/23

संख्या– 195 /सत्तर–7–2023–बी0एड0(16)/2011

प्रेषक,

कल्लू प्रसाद द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

GA-253
19-7-23

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी।

O.S(AIH)
18-7-2023
Registrar
Ch Charan Singh University

उच्च शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊ: दिनांक: 17 जुलाई, 2023

विषय:– निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम (शिक्षण सत्र 2023–24) लिए पाठ्यक्रम शुल्क का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0सी0टी0ई0 नियमावली, 2002 के प्रस्तर–6(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या– 1561/सोलह–1–2008–5(डब्लयू–48)/2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के कार्यालय आदेश संख्या– 2463/2008–सोलह–ए–5(डब्लयू–48) /2003 दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी0एड0 पाठयक्रम हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30.06.2023 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुयी।

2– समिति की उक्त बैठक में शासनादेश संख्या–223/सत्तर– 7–2020–बी0एड0(16)/2011, दिनांक 24.06.2020 द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क प्रथम वर्ष हेतु रू0 51,250/– तथा द्वितीय वर्ष हेतु रू0 30,000/– को पुनर्निर्धारित किए जाने पर सम्यक् विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु शुल्क न बढाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी तथा पूर्व की भॉति बी0एड0 प्रथम वर्ष हेतु शुल्क रू0 51,250/– तथा द्वितीय वर्ष हेतु शुल्क रू0 30,000/– निर्धारित किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

7– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को बेवसाइट पर प्रदर्शन हेतु एवं सभी सम्बन्धितों को ई–मेल के द्वारा प्रेषित करने हेतु।

8– समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

9– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
विशेष सचिव।